संख्या-71/2021/1303/26-3-2021-100(115)/99 टी.सी.

प्रेषक,

बी0एल0 मीणा,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक,
जनजाति विकास,
उ0प्र0,लखनऊ।

समाज कल्याण अनुभाग-3 लखनऊ:दिनांक 12 अप्रैल, 2021

विषयः- **चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 के आय-व्ययक में अनुदान संख्या-81 के अन्तर्गत राजस्व मद में प्राविधानित धनराशियों के सापेक्ष राज्यांश से संचालित योजनाओं की वित्तीय स्वीकृति।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक निदेशालय, जनजाति विकास के पत्रांक-618/ ज0जा0वि0/लेखा/2021-22, दिनांक-30.03.2021 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है, कि वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप सं0-3/2021/बी-1- 375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों के अधीन अनुदान सं0-81 के लेखाशीर्षक-"2225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण" के अंतर्गत चालू कार्यक्रमों पर व्यय किये जाने हेतु संलग्न परिशिष्ट में दिये गये विवरण के अनुसार चालू वित्तीय वर्ष 2021-22 में प्राविधानित धनराशि रू0-4123.73 लाख (रू0-इक्तालीस करोड़ तेइस लाख तिहत्तर हजार मात्र) के सापेक्ष रू0-3934.66 लाख (रू0-उन्तालीस करोड़ चैतीस लाख छाछठ हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त कर निम्नलिखित शर्तो एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने हेतु आपके निवर्तन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं:-

(1) स्वीकृत की जा रही धनराशि वर्ष 2021-21 के लिये है, जिसके सापेक्ष अनुदान के अन्तर्गत होने वाले सम्भावित व्यय की फेजिंग कार्य की प्रकृति एवं अवसर के अनुसार कर लें, जहां तक सम्भव हो, व्यय की फेजिंग प्रतिमाह समान रूप से की जाय। बजट आवंटन में इस बात का स्पष्ट उल्लेख किया जाय कि आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाय यदि सम्बन्धित विभाग के आहरण एवं वितरण अधिकारी जनपद स्तर पर हैं, तो जनपद स्तर पर व्यय की जाने वाली धनराशियों को सम्बन्धित जनपदों के आहरण एवं वितरण अधिकारी को आवंटित की जाय। ऐसे मामलों में विभागाध्यक्ष स्तर पर एक मुश्त धनराशि का आहरण न किया जाय। धनराशि के एक मुश्त आहरण से राज्य के रोकड़ प्रबन्धन (कैश मैनेजमेन्ट) पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि के सापेक्ष व्यय हेतु वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/ 2021, दिनांक 22 मार्च 2021 में दिये गये दिशा-निर्देशों एवं प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय। निवर्तन पर रखी जा रही धनराशि के संबंध में यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है। धनराशि व्यय करने से पूर्व जिन मामलों में बजट मैनुअल, फाइनेन्शियल हैण्डबुक के नियमों तथा अन्य स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति आवश्यक हो, उनमें ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाये। धनराशि के व्यय हेतु शासन द्वारा मितव्ययिता के संबंध में समय-समय पर निर्गत सुसंगत वित्तीय नियमों तथा आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये तथा उ0प्र0 बजट मैनुअल के पैरा-88 में इंगित व्यवस्था के अनुसार व्यय को प्राधिकृत विनियोग सीमा/स्वीकृत/अवमुक्त धनराशि के भीतर रखा जाये।

(3) वित्तीय स्वीकृतियों के सापेक्ष व्यय की नियमित संवीक्षा अपने स्तर पर किये जाने की व्यवस्था करें तथा समीक्षा में यदि किसी मामले में सीमाधिक्य व्यय दृष्टिगोचर हो तो उसे तत्काल शासन के समाज कल्याण विभाग तथा संबंधित वित्त(व्यय नियंत्रण) अनुभाग के संज्ञान में लाया जाये। इस संबंध में बी0एम0-13 में नियमित रूप से शासन को सूचना उपलब्ध कराई जाये तथा

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

बजट मैनुअल में निर्धारित विभिन्न प्रपत्रों के माध्यम से इस संबंध में निर्धारित कैलेण्डर के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जाये।

(4) उक्त स्वीकृत धनराशि के सापेक्ष व्यय के विवरण सहित धनराशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। उपर्युक्त धनराशि व्यय किये जाने के संबंध में उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल के प्रस्तर-12 में दी गई शर्तों की पूर्ति तथा वित्तीय औचित्य के मानकों (स्टैण्डड्स आफ फाइनेन्शियल प्रोप्राइटी) का अनुपालन भी सुनिश्चित किया जाए।

2- यह आदेश वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1, उ0प्र0 शासन के कार्यालय ज्ञाप संख्या-3/2021/बी-1-375/दस-2021-231/2021, दिनांक 22 मार्च 2021 द्वारा प्रशासकीय विभागों को दिये गये दिशा-निर्देशों के अधीन जारी किये जा रहे हैं।

<u>संलग्नक-यथोपरि।</u>

भवदीय,

बी0एल0 मीणा
प्रमुख सचिव।

<u>पृ0संख्या-71/2021/1303 (1)/26-3-2021-तद्दिनांक</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1- महालेखाकार, (लेखा एवं हकदारी/लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0,इलाहाबाद।
2- प्रधान महालेखाकार (सिविल आॅडिट) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।
3- मुख्य कोषाधिकारी,जवाहर भवन,लखनऊ।
4- निदेशक एन0आई0सी0योजना भवन, लखनऊ।
5- मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशक, जनजाति विकास, उ0प्र0 लखनऊ।
6- वित्त(व्यय-नियंत्रण)अनुभाग-4, उ0प्र0 शासन।
7- वित्त(आय-व्ययक)अनुभाग-1/2, उ0प्र0 शासन।
8- गार्डफाइल।

आज्ञा से,

राकेश कुमार सचान
अनु सचिव

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

http://shasanadesh.up.nic.in

शासनादेश संख्या–71 /2021/1303/26–3–2021, दिनांक–12/03/2021 का संलग्नक

मुख्य लेखाशीर्षक/लघुशीर्षक योजना का नाम	आय–व्ययक प्राविधान 2021–22	वित्तीय वर्ष 2021–22 में निर्गत वित्तीय स्वीकृति
1	2	3
1–राजस्व व्यय–		
मुख्य लेखाशीर्षक–2225–अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गों का कल्याण–		
02– अनुसूचित जनजातियों का कल्याण–		
796–जनजातीय क्षेत्र उपयोजना		
03–मुख्यालय अधिष्ठान		
01–वेतन	185.40	185.40
02–मजदूरी	2.00	2.00
03–महगाई भत्ता	55.62	55.62
04–यात्रा व्यय	1.50	1.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.50	0.50
06–अन्य भत्ते	0.50	0.50
07–मानदेय	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	5.00	5.00
09–विद्युत देय	10.00	10.00
10–जलकर/जल प्रभार	1.00	1.00
11–लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	3.00	3.00
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	6.00	6.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.20	1.20
14–कार्यालय प्रयोगार्थ स्टाफ कारों का क्रय	0.00	0.00
15–गाड़ियों का अनुरक्षण एव पेट्रोल आदि की खरीद	17.00	17.00
16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	3.00	3.00
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	13.00	13.00
18–प्रकाशन	2.00	2.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	2.00	2.00
26–मशीने ओर सज्जा/उपकरण और संयंत्र	2.50	2.50
29–अनुरक्षण	3.00	3.00
42–अन्य व्यय	2.50	2.50
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.50	0.50
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.50	0.50
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47–कॅम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वदी व्यय	0.15	0.15
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	15.30	15.30
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	5.00	5.00
योग–03	**351.27**	**351.27**

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

04– एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी व थारू विकास परियोजना बलरामपुर के अन्तर्गत चिकित्सालयों का संचालन		
26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	1.30	1.30
39–औषधि तथा रसायन	3.50	3.50
42–अन्य व्यय	1.20	1.20
योग 04 :–	**6.00**	**6.00**
05–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना का क्रियान्वयन		
01–वेतन	15.50	5.00
03–महगाई भत्ता	4.65	2.00
04–यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.20	0.20
09–विद्युत देय	0.60	0.60
10–जलकर / जलप्रभार	0.10	0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.25
15–गाडियों का अनुरक्षण एव पेट्रेल आदि की खरीद	0.20	0.20
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.20	0.00
18–प्रकाशन	0.20	0.20
19–विज्ञापन बिक्री और विख्यापन व्यय	0.10	0.10
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	39.70	0.00
42–अन्य व्यय	0.10	0.00
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर / साफ्टवेयर का क्रय	0.20	0.20
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण / तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	0.40	0.40
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	0.60	0.20
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
योग 05 :–	**63.30**	**9.75**
06–जिला कार्यालय का जनजाति विकास सम्बन्धी अधिष्ठन		
01–वेतन	15.96	15.96
03–महगाई भत्ता	4.79	4.79
04–यात्रा व्यय	0.20	0.20
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.50	0.50
09–विद्युत देय	0.60	0.60
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.40	0.40
12–कार्यालय फर्नीचर्स एव उपकरण	0.25	0.25
17–किराया उपशुल्क और कर स्वामित्व	0.25	0.25
18–प्रकाशन	0.70	0.70
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.25	0.25
49–चिकित्सा व्यय	0.50	0.50
51–वर्दी व्यय	0.10	0.10
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

55–मकान किराया भत्ता	0.70	0.70
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
योग 06 :–	**25.50**	**25.50**
08–अनुसूचित जनजातियों के विद्यार्थियों के लिए छात्रावास		
01–वेतन	10.91	10.91
02–मजदूरी	1.75	1.75
03–महगाई भत्ता	3.27	3.27
04–यात्रा व्यय	0.10	0.10
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	0.20	0.20
06–अन्य भत्ते	0.10	0.10
08–कार्यालय व्यय	0.25	0.25
09–विद्युत देय	1.50	1.50
10–जलकर / जल प्रभार	0.10	0.10
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	0.25	0.25
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	0.40	0.40
26–मशीने और सज्जा / उपकरण और संयत्र	0.60	0.60
29–अनुरक्षण	0.80	0.80
41–भोजन व्यय	1.20	1.20
42–अन्य व्यय	0.10	0.10
43–सामग्री और सम्पूर्ति	0.80	0.80
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	0.05	0.05
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.10	0.10
49–चिकित्सा व्यय	0.20	0.20
51–वर्दी व्यय	0.05	0.05
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	0.40	0.40
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58– आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	27.41	27.41
योग–08	**50.54**	**50.54**
09–अनुसूचित जनजातियों के लिए राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय तथा रख–रखाव		
01–वेतन	388.10	388.10
02–मजदूरी	15.50	15.50
03–महगाई भत्ता	116.43	116.43
04–यात्रा व्यय	5.50	5.50
05–स्थानान्तरण यात्रा व्यय	1.00	1.00
06–अन्य भत्ते	1.50	1.50
08–कार्यालय व्यय	25.00	25.00
09–विद्युत देय	25.00	25.00
10–जलकर / जल प्रभार	0.50	0.50
11–लेखन सामग्री और फार्मो की छपाई	4.50	4.50
12–कार्यालय फर्नीचर्स एवं उपकरण	6.00	6.00
13–टेलीफोन पर व्यय	1.50	1.50

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

16–व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए व्यय	9.00	9.00
19–विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय	3.00	3.00
29–अनुरक्षण	9.00	9.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	294.79	294.79
39–औषधि तथा रसायन	4.50	4.50
40–औषधालय सम्बन्धी आवश्यक सज्जा	4.50	4.50
41–भोजन व्यय	500.48	500.48
42–अन्य व्यय	2.50	2.50
43–सामग्री और सम्पूर्ति	108.00	108.00
44–प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक भुगतान	0.30	0.30
45–अवकाश यात्रा व्यय	0.30	0.30
46–कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
47–कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय	5.00	5.00
49–चिकित्सा व्यय	5.00	5.00
51–वर्दी व्यय	0.50	0.50
52–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राजकीय)	0.00	0.00
55–मकान किराया भत्ता	10.00	10.00
56–नगर प्रतिकर भत्ता	0.00	0.00
58–आउटसोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	145.00	145.00
योग 09 :–	**1695.40**	**1695.40**
10–अनुसूचित जनजाति की छात्राओं हेतु बुक बैंक योजनान्तर्गत निःशुल्क पाठ्य पुस्तकों को उपलब्ध कराने हेतु अनुदान		
20–सहायता अनुदान–सामान्य(गैर वेतन)	5.00	5.00
11–अनु0जनजातियों के कक्षा 1 से 10 के विद्यालयों को छात्रवृत्ति एंव अनावर्तीय सहायता		
1101–कक्षा 9 व 10 के छात्रों को निर्धनता के आधार पर सहायता		
21–छात्रवृत्तियॉं और छात्रवेतन	110.00	110.00
12–अनु0जनजातियों की छात्राओं हेतु यूनीफार्म एंव बाइसिकिल अनुदान	100.00	100.00
13–दशमोत्तर कक्षाओं में अध्ययनरत अनु0जनजाति के छात्रों की छात्रवृत्ति		
21–छात्रवृत्तियॉं और छात्रवेतन	1000.00	1000.00
14–अनुसूचित जनजातियों की सहायता प्राप्त पाठशालाओं, पुस्तकालयों व छात्रावासों के सुधार/विस्तार		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	124.52	124.52
15–अत्याचारों से उत्पीड़ित अनुसूचित जनजातियों की सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	100.00	100.00
17–जनजाति उपयोजना		
1701–एकीकृत जनजाति विकास परियोजना खीरी		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	20.00	20.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	196.52	120.00
53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सरकार)	40.00	0.00
योग 1701 :–	**256.52**	**140.00**
02–जनजाति क्षेत्रीय कार्यक्रम थारू विकास परियोजना गोण्डा		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	6.00	6.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	63.60	63.60

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

53–पुनरीक्षित वेतन का अवशेष (राज्य सरकार)	19.00	0.00
योग 02 :–	88.60	69.60
03–अधिष्ठान व्यय हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	3.00	3.00
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	13.10	13.10
योग 03 :–	16.10	16.10
04–बिखरी आवादी वाले जनजातियों का विकास		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	1.50	1.50
31–सहायता अनुदान–सामान्य(वेतन)	29.48	29.48
योग 04 :–	30.98	30.98
योग 17 :–	392.20	256.68
18–अनुसूचित जनजाति के निर्धन व्यक्तियों की पुत्रियों की शादी हेतु आर्थिक सहायता		
20–सहायता अनुदान–सामान्य (गैर वेतन)	100.00	100.00
महायोग :– राजस्व	4123.73	3934.66

(रू0–उन्तालीस करोड़ चौतीस लाख छाछठ हजार मात्र)

भवदीय,

(राकेश कुमार सचान)
अनु सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नही है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।